

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 10, शुक्रवार, श॥के 1947- जनवरी 30, 2026 Magha 10, Friday, Saka 1947- January 30, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(वृत्त चित्तौड़गढ़)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पनुव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 19633006 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार, हमीरगढ़ (आमली चौराहा) भीलवाड़ा गुरला से मुरोली (राशमी) सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य किमी. 0/0 से 30/500 का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं भूमि अवाप्ति की स्वीकृति श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक F.7(434)/Sec.II/2020-21/D-1152 दिनांक 11.11.2024 द्वारा राशि रु. 230.00 लाख एवं 440.00 लाख की जारी की गई है। जिससे एमडीआर-370 के उन्नयन का कार्य किया जाना है। उक्त उन्नयन कार्य के दौरान ग्राम आमली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम
1	भीलवाड़ा	हमीरगढ़	आमली

परियोजना हेतु नियमानुसार समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एमडीआर-370 का उन्नयन के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम आमली का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

- 1 संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारित की प्रारूप रिपोर्ट की जावेगी।
- 2 प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में सम्बन्धित सभा तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
- 3 जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
- 4 सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत के परामर्श से की जावेगी
- 5 सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकुश और शून्य बना देगा।
- 6 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
eepwdchittor.2011@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
श्री नवीन कुमार अग्रवाल
मो. 9460115476

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
eepwdchittor.2011@rediffmail.com

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव(पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।